13/3/19 पत्रावली आज पेश हुई। [illegible]
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से [illegible]
दिनांक 3/5/19 को पेश [illegible]
सहायक [illegible]
(S.D.O.) [illegible]

3/5/19 दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते कारण हेतु दिनांक 29/5/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

29/5/19 दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्ष आयन्दा बहस हेतु तैयार होकर पत्रावली दिनांक 5/6/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

5/6/19 दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। अंतिम बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 11/6/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,

11/6/19 पत्रावली पेश हुई। आदेश अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार आर.ए.एस

मुकदमा न0 753/2018

प्रार्थी :–

1. दिनेशसिंह रोहडिया पुत्र श्री लक्ष्मीचन्दजी जाति चारण उम्र 57 वर्ष निवासी बागुण्डी तह. पचपदरा हाल निवासी जायल जिला नागौर।
2. सतीशसिंह चारण पुत्र श्री लक्ष्मीचन्दजी जाति चारण
3. महीपालसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति चारण उम्र 41 निवासी बागुण्डी।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. श्री लक्ष्मीचद पुत्र रामदानजी
2. जसकरण पुत्र रामदानजी
3. सोमकरण पुत्र रामदानजी
4. गोविन्दसिंह पुत्र रामदानजी
5. चन्द्रभानसिंह पुत्र रामदानजी
6. नारायणसिंह पुत्र रामदानजी
7. हिंगलाजदान पुत्र रामदानजी सभी जातियान चारण निवासीयान बागुण्डी तह.पचपदरा
8. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा
9. उप पंजीयक जसोल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री, अचलाराम थोरी, प्रार्थीगण वकील
2.श्री जुंजाराम , विप्रार्थीण वकील

आदेश दिनांक :– 11 • 6 .2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि सरहद मौजा बागुण्डी के खेत खसरा सं. 103 रकबा 49.18 बीघा, ख.स. 120 रकबा 48 04 बीघा, ख.स. 121 रकबा 129.06 बीघा, ख.स. 163 रकबा 39.17 कुल रकबा 267.05 बीघा अवस्थित रही। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के दादा रामदानजी के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कृषी भूमि रही है, प्रार्थीगण के दादा के देहान्त आज से 19.–20 साल पूर्व हिन्दु रहते निर्वसियति हुआ, तदोपरान्त उपरोक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित कृषि भूमि में प्रार्थीगण के दादा रामदानजी के सातो पुत्रों (विप्रार्थीगण) के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये गये। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण हिन्दु धर्म के अनुयायी है तथा हिन्दु विधि की मिताक्षरा पद्वति से शासित होते है . प्रार्थी सं. 1 व 02 के पिता लक्ष्मीचंद का 1/7 हिस्सा, और प्रार्थी 1 व 2 का विप्रार्थी सं. 01 के

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

1/7 हिस्से की कृषि भूमि मे 1/3–1/3 हिस्सा बराबर 12 बीघा 07 बिस्वा–12 बीघा 07 बिस्वा कब्जा काश्त का रहा इसी प्रकार प्रार्थी सं. 03 का विप्रार्थी सं. 04 गोविन्दसिंह के 1/7 हिस्से की कृषि भूमि मे से 1/2 हिस्सा बराबर 19.07 बीघा कब्जा काश्त का रहा। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण का संयुक्त हिन्दु परिवार की उपरोक्त अविभाजित कृषि भूमि में संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर व सतत रूप से कायम रहा । किन्तु विप्रार्थी कुछ असामाजिक तत्वों के सिखावे में आकर उपरोक्त कृषि भूमि को आगे बेचान करने हेतु उतारू है, जबकि ऐसा करने का कोई अधिकार विप्रार्थीगण को नही है, क्योंकि उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमि है। अतः प्रार्थीगण का अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ विप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 के उक्त कृत्य को करने से रोकने हेतु न्यायालय मे अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र मे यह भी निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष मे एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध दौराने दावा इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विप्रार्थीगण स्वयं उनके ऐजेन्ट, मजदूर ठेकेदार इत्यादि वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा बागुण्डी के खेत खसरा सं. 103 रकबा 49.18 बीघा, ख.स. 120 रकबा 48.04 बीघा, ख.स. 121 रकबा 129.06 बीघा, ख.स. 163 रकबा 39 17 कुल रकबा 267.05 बीघा किस्म प्रार्थी के कब्जा काश्त मे किसी तरह का मन गठन कानून मन गठन कानून हाथ में लेकर, अवैध एवं अनाधिकृति तरीके से अतिचार एवं कोई दखल /हस्तक्षेप स्वय प्रार्थी के विधि पूर्ण कब्जा काश्त खातेदारी की वादग्रस्त कृषि भूमि मे अवैध अतिचार कर देते है तो प्रार्थी को अपार अपरिमित क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन मुद्रा मे करना सम्भव नही होगा। यदि दौराने दावा विप्रार्थीगण को अवैध एवं अनाधिकृत दखल/हस्तेक्षप करने से निषेधित एवं निवारित किया जा तो विप्रार्थीगण को कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार सुविधा का सतुलन एवं साम्या का पवित्र सिद्वान्त काबिज खातेदार टीनेन्ट प्रार्थी के हक/ पक्ष मे ही विद्यमान है।

उक्त आश्य का प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर विप्रार्थी सं. 2, 3, 5 ता 7 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जवाब दिनांक 26.7.2018 को पेश किया गया ।

हमने दोनो पक्षो के वकीलो की बहस को सुना व मनन किया पत्रावली के संलग्न दस्तावेजा जमाबदी संवत 2070–2073 का अवलोकन किया गया । दोनो पक्षो के अधिवक्ता ने दोराने बहस को सुना गया ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी सांख्या 1 ता 3 तथा विप्रार्थी सख्या 1 ता 7 संयुक्त खातेदार है । किसी खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित नहीं है परन्तु साथ हिन्दु उत्ताराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण को जन्म से वादग्रस्त आराजी में निहित अधिकारों को सुरक्षित रखना भी आवश्यक समझते है । अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति को प्रार्थी के हक हिस्से तक प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किया जाता है व अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पारित कि जाती है

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

कि अप्रार्थी संख्या –1 लक्ष्मीदान पुत्र रामदान वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या सं. 103 रकबा 49.18 बीघा, ख.स. 120 रकबा 48.04 बीघा, ख.स. 121 रकबा 129.06 बीघा, ख.स. 163 रकबा 39.17 कु. रकबा 267.05 बीघा सरहद मौजा बागुण्डी में प्रार्थी संख्या 1 दिनेश सिह रोहडीया तथा प्रार्थी सं. –2 सतीशसिंह चारण के निहित अधिकार अर्थात् हक हिस्सा 1/21– 1/21 तक का बेचान नही करे व अप्रार्थी संख्या –4 गोविन्दसिंह पुत्र रामदान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पावद किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या –4 प्रार्थी संख्या –3 महिपाल सिंह पुत्र गोविन्द सिह चारण क वादग्रस्त आराजी ख सं. 103 रकबा 49.18 बीघा, ख.स. 120 रकबा 48.04 बीघा, ख.स. 121 रकबा 129.06 बीघा, ख.स. 163 रकबा 39.17 कुल रकबा 267.05 बीघा मे निहित हक हिस्से 1/14 का बेचान ना करें । शेष अप्रार्थी संख्यां 2, 3, 5 ,6, 7 वादग्रस्त आराजी में रेकार्डड खातेदार है । रेकर्डड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है अतः अप्रार्थीगण संख्यां 2, 3, 5 ,6, 7 के विरूद्व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

खर्चा फरिकने अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(रोहित कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner